भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3227

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

एमएसएमई को ऋण सहायता

3227. श्री पी. पी. चौधरी:
श्री जयवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री भोजराज नाग:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री पी. सी. मोहन:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा बढ़ा दी है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसएमई संशोधित निवेश और टर्नओवर सीमाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से विशिष्ट तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) बैंक और वित्तीय संस्थान वास्तव में पात्र एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ी हुई ऋण गारंटी कवर प्रदान करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) ऋण योजनाओं या धोखाधड़ी वाले ऋण आवेदनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या ग्रामीण और महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए इन क्रेडिट कार्डों तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए कोई विशेष प्रावधान हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(च) इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर सीधी संसदीय क्षेत्र में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(छ) क्या सरकार के पास देश में उद्यमशीलता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के लिए विशेष रूप से कोई लक्षित पहल या वित्तीय सहायता योजनाएं हैं और यदि हां, तो विशेष रूप से भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : बजट 2025 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की परिभाषा में संशोधन की घोषणा की गई थी। एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमाओं में क्रमश: 2.5 गुना और 2 गुना संशोधन किया गया था। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्गीकरण	संयंत्र और मशीनरी में मौजूदा निवेश (करोड़ रुपए में)	संयंत्र और मशीनरी में संशोधित निवेश (करोड़ रुपए में)	मौजूदा कारोबार (करोड़ रुपए में)	संशोधित कारोबार (करोड़ रुपए में)
सूक्ष्म	1	2.5	5	10
लघु	10	25	50	100
मध्यम	50	125	250	500

वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमाओं को बढ़ाकर एमएसएमई मौजूदा एमएसएमई स्कीमों की स्थिति और लाभों को बरकरार रखते हुए व्यापक पैमाने पर अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, प्रौद्योगिकी उन्नयन कर सकता है और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकता है।

(ग) और (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में एमएसएमई पर गठित अधिकार प्राप्त समिति क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा संस्वीकृत/संवितरित ऋण की निगरानी करती है। इसकी निगरानी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा भी की जाती है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 18.09.2020 के पत्र संख्या 1(12)/सीएलसीएसएस/विविध/फेक लोन्स/2020-21 के अंतर्गत सभी एमएसएमई को यह स्पष्ट करते हुए सलाहपत्र जारी किया था कि मंत्रालय की सभी क्रेडिट स्कीमों का बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा ही कार्यान्वयन किया जाए।

(ड़) : एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए संघीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमी बनी महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण प्रदान करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई है। संघीय बजट 2025 में उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की भी घोषणा की गई है।

(च) और (छ) : केंद्र सरकार वित्तीय सहायता सहित उद्यमिता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के जरिए एमएसएमई को सहायता प्रदान में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। इन पहलों में अन्य के साथ-साथ बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत वित्त और अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई को 25% सब्सिडी प्रदान करने संबंधी प्रावधान के साथ विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल मुक्त ऋण, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि शामिल हैं।

देश भर में क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत एमएसई के लिए अनुमोदित गारंटियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है और सीधी संसदीय क्षेत्र तथा विभानी-महेंद्रगढ़ लोक लभा संसदीय क्षेत्र के लिए आंकड़ा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3227, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (च) और (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राशि करोड़ रुपए में

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में अनुमोदित गारंटी			
		शुरुआत से लेकर दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक संचित	
क्र.सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**राशि**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,466	555
2	आंध्र प्रदेश	826,239	25,930
3	अरुणाचल प्रदेश	12,482	1,196
4	असम	273,729	18,258
5	बिहार	535,024	35,215
6	चंडीगढ़	36,042	4,266
7	छत्तीसगढ़	160,105	12,965
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5,322	1,198
9	दिल्ली	207,382	36,372
10	गोवा	40,233	3,452
11	गुजरात	512,370	73,806
12	हरियाणा	248,325	32,284
13	हिमाचल प्रदेश	137,576	10,213
14	जम्मू और कश्मीर	308,457	11,194
15	झारखंड	276,670	24,358
16	कर्नाटक	801,185	68,641
17	केरल	498,411	24,207
18	लद्दाख	2,115	257
19	लक्षद्वीप	583	19
20	मध्य प्रदेश	530,746	41,270
21	महाराष्ट्र	876,793	107,417
22	मणिपुर	17,291	921
23	मेघालय	18,067	1,367
24	मिजोरम	10,118	611
25	नागालैंड	17,617	1,115
26	ओडिशा	401,422	28,875
27	पुडुचेरी	17,453	1,050
28	पंजाब	351,409	31,053
29	राजस्थान	468,013	37,928
30	सिक्किम	7,221	497
31	तमिलनाडु	866,672	67,499
32	तेलंगाना	276,669	27,228
33	त्रिपुरा	34,086	1,714
34	उत्तर प्रदेश	1,315,021	90,685
35	उत्तराखंड	139,880	9,728
36	पश्चिम बंगाल	598,879	51,349
कुल		**10,835,073**	**884,691**

स्रोत: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

अनुबंध II

लोक सभा अतारांकित प्रश्म संख्या 3227, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (च) और (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राशि करोड़ रुपए में

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में सीधी संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत गारंटी			
		शुरुआत से लेकर 28 फरवरी 2025 तक संचयी	
क्र.सं.	**जिला**	**नहीं**	**राशि**
1	शहडोल	5,174	290
2	सीधी	5,937	312
3	सिंगरौली	3,963	329
कुल		**15,074**	**931**

स्रोत: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

राशि करोड़ रुपए में

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गांरटी स्कीम में भिवानी- महेंद्रगढ़ लोक सभा संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत गारंटी			
			शुरुआत से लेकर 28 फरवरी 2025 तक संचयी
क्र.सं.	**जिला**	**नहीं।**	**राशि**
1	भिवानी	8529	894
2	महेंद्रगढ़	6788	411
कुल		**15,317**	**1,305**

स्रोत: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट